(राजस्थान सरकार)

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जिला कोटपूतली–बहरोड

पीठासीन अधिकारी : कल्पना अग्रवाल (I.A.S)
प्रार्थना पत्र : 30/2025 रेफरेन्स प्रकरण अन्तर्गत धारा 14(4)
तारीख रजू : 25.02.2025

उनवान :

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कोटपूतली जिला कोटपूतली–बहरोड़ राज0। – प्रार्थी

बनाम

1. छीतर पुत्र सुलतान जाति चमार निवासी नांगल चेचीका, तहसील कोटपूतली जिला कोटपूतली–बहरोड़ राज0।
2. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम जरिये क्षेत्रीय प्रबन्धक रिको शाहजहांपुर, बहरोड़ जिला कोटपूतली–बहरोड़ राज0। – अप्रार्थीगण

रेफरेन्स प्रकरण अन्तर्गत धारा 14 (4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम 1970

निर्णय

दिनांक : 09.05.2025

1. तहसीलदार कोटपूतली द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रकरण का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 20 रकबा 4 बीघा का आवंटन दिनांक 27.02.1976 को वाके ग्राम केशवाना गुर्जर में श्री सुलतान पुत्र मूलाराम जाति चमार निवासी नांगल चेचीका, तहसील कोटपूतली को आवंटन किया गया था जिसके हाल नम्बर 27 रकबा 22.36 बनता है। आवंटी का मौके पर कब्जा काश्त नहीं है, नियमानुसार 3 साल के अन्तर्गत आवंटित रकबा पर काश्त करना चाहिए। आवंटी द्वारा आवंटन नियमों के बाबत पालना नहीं की गई है। उक्त आराजी का दिनांक 01.01.1993 को राजस्थान औद्योगिक विकास नियम (रीको) को आवंटन हो चुका है तथा कब्जा दिया जा चुका है तथा रिकार्ड में भी रीको के नाम इन्द्राज हो चुका है। अतः दिनांक 27.02.1976 को आवंटी सुलतान पुत्र मूलाराम के नाम किये गये आवंटन को निरस्त किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम 1970 के तहत पेश किया है।
2. अप्रार्थी संख्या 01 ने जवाब प्रार्थना पत्र में कथन किया कि उक्त आराजी का आवंटन अप्रार्थी संख्या 01 के पिता सुलतान पुत्र मूलाराम को आवंटन किया गया था तथा अप्रार्थी ने कब्जा मिलने के पश्चात लगातार जमीन काश्त की है। अप्रार्थीगण ने कोई अवहेलना नही की है। उक्त आराजी का दिनांक 01.01.1993 को राजस्थान औद्योगिक विकास नियम (रीको) को आवंटन गलत किया गया है तथा उसके नाम राजस्व अभिलेख में प्रविष्टि भी गलत रूप में की गई है। अप्रार्थी को सुनवाई का कोई अवसर नही दिया है तथा यह कार्यवाही अप्रार्थी के हितों के विरूद्ध पुर्णतया बेअसर है। ग्राम केशनवाना गुर्जर में सन् 1974 में बन्दोबस्त की कार्यवाही चालू हो गई थी। अतएव राजस्व अभिलेख बन्दोबस्त विभाग में चला गया। सन् 1980 में यह ग्राम जिला अलवर तहसील बहरोड का ग्राम बन गया था। अतएव राजस्व विभाग में बन्दोबस्त के दौरान तहसील कोटपूतली बहरोड़ से रिकार्ड वापिस आया तब तक बन्दोबस्त हो चुका था। राजस्व अभिलेख में यह सिवायचक दर्ज रह गयी जबकि कब्जा अप्रार्थी का है। अप्रार्थी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है केवल राजस्व अभिलेख में प्रविष्ट नही होने से अधिकारों पर कोई फर्क नही पड़ता है। कानूनी रूप से 30 साल के अन्तराल के पश्चात आवंटन निरस्त नही किया जा सकता। अप्रार्थी का आवंटन होते हुए आराजी रीको को बेच दी जो बेचान अवैध व शून्य है। अप्रार्थी सुल्तान की मृत्यु काफी वर्ष पूर्व हो चुकी है, उसका वारीस पुत्र छीतर है। अतः तहसीलदार कोटपूतली ने आवंटित जमीन को नियमो के विपरित दोबारा रीको के नाम अलॉटमेंट कर गलत कार्यवाही की है। अतः कानूनी रूप से यह प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है।
3. अप्रार्थी नम्बर 02 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया। जवाब में निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 2 को ओद्योगिक प्रयोजनार्थ उपशासन सचिव उद्योग द्वारा ग्राम केशवानागुर्जर तहसील कोटपूतली में दिनांक 1 जनवरी 1993 को हाल आराजी ख0न0 27/22.36, 28/28.50, 29/21.72, 30/12.85, 31/14.18, 32/22.00, 38/12.24, 39/8.83, 40/14.80, 218/9.40, 220/4.75, 280/5.95, 279/0.84 कुल रकबा 178.42 हैक्टेयर आवंटन किया गया था जिसमें अप्रार्थी रीको द्वारा दिनांक

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़

16/08/1994 को 1,26,98,932 रू0 प्रीमियम तहसीलदार कोटपुतली को भुगतान किया गया तथा तहसीलदार कोटपुतली द्वारा दिनांक 15/09/1994 को उक्त भूमि का कब्जा अप्रार्थी संख्या 2 रीको को सम्भलाया गया था। दिनांक 04/12/2004 को प्रमुख शासन सचिव की अध्यक्षता में अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक रीको जयपुर, जिला कलेक्टर जयपुर, उपशासन सचिव उद्योग विभाग जयपुर, सलाहकार (इन्फ्रा) रीको जयपुर, अतिरिक्त कलेक्टर तृतीय जयपुर की मीटिंग हुई जिसमें विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया था कि अतिक्रमियों द्वारा मौके पर बनाई गयी कुई तथा कच्चे पक्के अस्थाई मकान आदि बाबत मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर उनके पुर्नवास हेतू सहायता राशि सम्बन्धित कास्तकारों को प्रदान करें। दिनांक 20/06/2006 को प्रमुख शासन सचिव राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 04/12/2004 को जो बैठक आयोजित हुई थी तथा कथित आवंटी/अतिक्रमियों ने माननीय राज० उच्च न्यायालय में भी एक रिट याचिका सिविल पीटिशन न0 3374/2005 दायर की थी जिसका निस्तारण माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 05/05/2006 को किया गया था जिस पर आदेश की पालना में कुऐ स्ट्रक्चर इत्यादि की मुआवजा राशि 5,06,674 रू0 के भुगतान को स्वीकृत किये गये जो राशि चैक सं0 321763 दिनांक 30/06/2006 रू0 5,06,674 का सम्बन्धित/हितबद्ध व्यक्तियो को उनके कुऐं व स्ट्रक्चर का भुगतान करने हेतु उपखण्ड अधिकारी कोटपुतली के यहां दि० 03/07/2006 को जमा करा दिया गया था। अप्रार्थी संख्या 2 को आंवटित भूमि पर अप्रार्थी सं० 2 का कब्जा चला आ रहा है तथा ओद्योगिक विस्तार किया जा रहा है ऐसी स्थिति में अप्रार्थी सं० 1 को ना तो कोई अधिकार है एवं तथा कथित आवंटन स्वंत ही निरस्त हो चुका है व कभी प्रभावी नहीं हुआ एवं अप्रार्थी सं० 2 के अधिकारों के विरूद्ध शुन्य व बेअसर है ।

4. पैरोकार सरकार उपस्थित आये। अप्रार्थीगण अनुपस्थित। पैरोकार सरकार की एक पक्षीय बहस सुनी गई। राजकीय पैरोकार ने अपनी बहस के दौरान प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए अभिकथन किया कि आवंटी का मौके पर कब्जा काश्त नही है। नियमानुसार निर्धारित समय में अप्रार्थी द्वारा आवंटित रकबा पर काश्त करनी चाहिए थी जिसकी पालना आवंटी द्वारा नही की गई। उक्त आराजी राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम (रीको) को आवंटित हो चुकी है तथा कब्जा दिया जा चुका है एवं रिकार्ड में भी रीको के नाम इन्द्राज हो चुका है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी को किया गया आवंटन निरस्त करने के आदेश फरमावें जावें।

5. पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया तथा पैरोकार पत्रावली का अवलोकन किया। की बहस पर मनन किया गया तो पाया कि प्रार्थी तहसीलदार बानसूर द्वारा आवंटी के विरूद्ध रेफरेन्स प्रकरण अन्तर्गत धारा 14 (4) राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम 1970 के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर आवंटन को निरस्त करने के लिए निवेदन किया है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि आराजी राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम (रीको) को आवंटित हो चुकी है तथा कब्जा दिया जा चुका है एवं रिकार्ड में भी रीको के नाम इन्द्राज हो चुका है तथा मौके पर अप्रार्थी का कोई कब्जा नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) आवंटन नियम 1970 का स्वीकार किया जाकर आवंटी का आवंटन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

6. अतः उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थी तहसीलदार कोटपूतली जिला कोटपूतली बहरोड़ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) आवंटन नियम 1970 स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 01 के पिता सुलतान पुत्र मूलाराम को दिनांक 27.02.1976 को ग्राम केशवाना गूर्जर में आवंटित साबिक आराजी खसरा नम्बर 20 रकबा 4 बीघा हाल खसरा नम्बर 27 रकबा 22.36 का आवंटन निरस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की प्रति तहसीलदार कोटपूतली को पालनार्थ भिजवायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील जिला लेख भण्डार हो।

7. निर्णय आज दिनांक 09.05.2025 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कल्पना अग्रवाल)
आई.ए.एस.
जिला कलेक्टर
कोटपूतली-बहरोड़ (राज.)